

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
34/19	212 RTA	पटना	इ.ग.डी
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नागूलाल	बनाम	लीला कर्ई	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12 ⁶ / ₁₀ /19	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/7/019 को पेश हो।</p> <p>8</p>	
23 ⁷ / ₁₉	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.9.19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
4 ⁹ / ₁₉	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9.10.19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
5 ¹¹ / ₀₁₉	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10.12.19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
10 ¹² / ₁₉	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20.01.20 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	

10/21
 ... के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 24/8/21 को पेश हो।

10/21
 न्यायालय में दिनांक 27/8/21
 को पेश हो।

10/21
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
 शिबिर..... पर पत्रावली पेश
 हुई। पक्षकारान उपरियत/अनुपरियत।
 कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली
 न्यायालय में दिनांक 27/8/21
 को पेश हो।

2/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बीच
 कार आगे लगे गई। फिर भी प्रार्थी व प्रार्थीगत
 कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अटक हाजरी अटक
 परकी शरित किया जाता है। पत्रावली केवल
 शुमार होकर दारिद्वल दफतर है।